

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, अजमेर
क्रमांक एफ 11(43टी)एफसीए/मुवसअ/2017/ 6837 दिनांक 18-10-2017

निमित्त:-

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए,
राजस्थान-जयपुर।

विषय: Diversion 2.1 ha. forest land in favor Executive Engineer Rajasthan
Agriculture marketing board Division Tonk for construction of missing
link (dooni anwa road to chandelimata ji temple).

FP/RJ/ROAD/14903/2015 के संबंध में।

संदर्भ:- भारत सरकार के पत्रांक 8/बी/राज0/06/43/2015/एफसी/471
दिनांक 4.10.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि भारत सरकार के पत्रांक
8/बी/राज0/06/43/2015/एफसी/471 दिनांक 4.10.2017 के क्रम में उप वन संरक्षक,
टोंक ने अपने पत्रांक 10008 दिनांक 18.10.2017 द्वारा प्रकरण में आक्षेपों की पूर्ती कर ऑन
लाईन कर इस कार्यालय को भिजवाया गया है। जो इस कार्यालय द्वारा ऑनलाईन कर
आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

भवदीय,


(आर.के.सिंह)

वन संरक्षक

अजमेर।

दिनांक

क्रमांक सम/

प्रतिलिपि:-उप वन संरक्षक, टोंक को उनके पत्रांक 10008 दिनांक 18.10.2017 के क्रम
सूचनार्थ प्रेषित है।


(आर.के.सिंह)

वन संरक्षक

अजमेर।